फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 15.02.2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जनवरी, 2022 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ जनवरी, 2022 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: जनवरी, 2022 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय का मासिक सार।

1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

- संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 10 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि:
  (क) संसद के दोनों सदनों को बजट सत्र, 2022 के लिए 31 जनवरी, 2022 से बुलाया जाए और सत्र को सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए 8 अप्रैल, 2022 को समाप्त किया जाए।
  (ख) दोनों सदनों को सोमवार, 14 मार्च, 2022 को पुन: समवेत होने के लिए शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया जाए।
  (ग) माननीय राष्ट्रपति 31 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित करेंगे।
  (घ) वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट लोक सभा में मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पेश किया जाएगा और बजट पेश कर दिए जाने के पश्चात सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

- बजट सत्र, 2022 की शुरूआत

  बजट सत्र, 2022 (17वीं लोक सभा का 8वां सत्र और राज्य सभा का 256वां सत्र) 31 जनवरी, 2022 से शुरू हुआ।

- राष्ट्रपति का अभिभाषण

  भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 31.01.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण दिया।

- संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

  वर्ष 1956 से दिसंबर, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 97039 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 57097 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1215 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 584 आश्वासन लंबित हैं।

  जनवरी, 2022 मास के दौरान, 15 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 10 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

- परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन

  संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

जनवरी, 2022 माह के दौरान:-

(i) सरकार द्वारा दो संसद सदस्य को विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किया गया।

उपरोक्त से संबंधित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

- लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

जनवरी, 2022 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 जनवरी को लंबित मामले	465	213
माह के दौरान उठाए गए मामले	0	0
जनवरी के दौरान प्राप्त उत्तर	139	29
शेष मामले	326	184

- युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना

जनवरी, 2022 मास के दौरान राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 60 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 06 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र - एक एप्लिकेशन

जनवरी, 2022 माह के दौरान -

(क) नेवा के कार्यान्वयन हेतु बिहार विधान परिषद और नागालैंड विधान सभा को निधियों की दूसरी किस्त जारी की गई।

(ख) सीपीएमयू, नेवा के तकनीकी दल द्वारा नेवा की पब्लिक पोर्टल साइट का एक नया डिजाइन तैयार किया गया जिसमें कुछ नई विशेषताएं भी शामिल हैं।

(ग) मिजोरम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले।

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित "अभियोजन की मंजूरी" के मामलों की संख्या।

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन हुआ।
-शून्य-

5. चालू स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)।

- गतिविधियां चल रही हैं और निगरानी की जा रही है। गतिविधियों की स्थिति हर माह एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति।

- इस मंत्रालय के अधीन कोई स्वायत्त निकाय नहीं हैं।

7. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल के उपयोग तथा शासन और विकास में अनुप्रयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी।

- लागू नहीं।

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति।

- मंत्रालय में सभी वरिष्ठ स्तर के पद वर्तमान में भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी के निर्देश का पालन नहीं किया गया है।

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

*****

अनुबंध

उन संसद सदस्यों का विवरण जिन्हें जनवरी, 2022 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों पर नामित किया गया

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित किया गया**	**अभ्युक्ति**
1	श्री जोस के. मणि, संसद सदस्य (राज्य सभा)	संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय	24.01.2022 को नामित किया गया
2	श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, संसद सदस्य (लोक सभा)	विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	24.01.2022 को नामित किया गया